

हेट स्पीच

प्रलिस के लयि:

धारा 505(1) और 505(2), अनुच्छेद 19(1)(ए), जनप्रतनिधित्व अधनियम, 1951 (आरपीए), श्रेया सधिल बनाम भारत संघ ।

मेन्स के लयि:

हेट स्पीच के बारे में, भारतीय समाज में अभद्र भाषा के बढ़ने के कारण और इस प्रकार के मुद्दों से नपिटने के लयि उठाए जा सकने वाले कदम ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड में एक नेता के खिलाफ समाज के वभिन्न वर्गों के बीच शतरुता को बढ़ावा देने के मामले में FIR दर्ज की गई थी ।

प्रमुख बदि:

परचय:

- सामान्य तौर पर यह उन शब्दों को संदर्भित करता है जिनका इरादा किसी विशेष समूह के प्रति घृणा पैदा करना हो, यह समूह एक समुदाय, धर्म या जाति हो सकता है । लेकिन इसके परिणामस्वरूप हिसा होने की संभावना होती है ।
- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो** ने हाल ही में साइबर उत्पीड़न के मामलों पर जाँच एजेंसियों के लयि एक मैनुअल प्रकाशित कयि है, जसमें हेट स्पीच को एक ऐसी भाषा के रूप में परिभाषित कयि गया है जो किसी व्यक्ती की पहचान और अन्य लक्ष्णों जैसे- यौन, वकिलांगता, धर्म आदि के आधार पर उसे बदनाम, अपमान, धमकी या लक्ष्णित करती है ।
- भारत के **वधिआयोग (Law Commission) की 267वीं रिपोर्ट** में हेट स्पीच को मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, लयि, यौन, धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ घृणा को उकसाने के रूप में देखा गया है ।
- यह निर्धारित करने के लयि क भाषा अभद्र है या नहीं, भाषा का संदर्भ एक महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिता है ।
- सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक **स्वायत्तता और मुक्त भाषण के सिद्धांतों का प्रयोग नहीं करना** है जो समाज के किसी भी वर्ग के लयि हानिकारक हो सकता है ।
 - वचिारों की बहुलता को बढ़ावा देने के लयि मुक्त भाषण आवश्यक है जहाँ अभद्र भाषा **अनुच्छेद 19 (1) (ए)** (भाषण और अभवियक्ती की स्वतंत्रता) का अपवाद बन जाती है ।

हेट स्पीच के प्रमुख कारण:

- श्रेष्ठता की भावना:**
 - लोग उन रूढ़ियों में विश्वास करते हैं जो कउनके दमिग में बसी हुई हैं और ये रूढ़ियाँ उन्हें यह विश्वास दलाने के लयि प्रेरित करती हैं क एक वर्ग या व्यक्तियों का समूह उनसे हीन है तथा इसलयि सभी के एक समान अधिकार नहीं हो सकते ।
- वशिष वचिारधारा के प्रति जदि:**
 - शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के अधिकार की परवाह कयि बना किसी वशिष वचिारधारा को मानते रहने की जदि हेट स्पीच को और बढ़ाती है ।

हेट स्पीच से संबंधित कानूनी प्रावधान:

- भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत:**
 - IPC की धारा 153A और 153B:** ये दो समूहों के बीच दुश्मनी तथा नफरत पैदा करने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाते हैं ।
 - IPC की धारा 295A:** यह धारा जान-बूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से लोगों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों को दंडित करने से संबंधित है ।
 - IPC की धारा 505(1) और 505(2):** ये धाराएँ ऐसी सामग्री के प्रकाशन तथा प्रसार को अपराध बनाती हैं जससे वभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा उत्पन्न हो सकती है ।
- जन-प्रतनिधित्व अधनियम के अंतर्गत:**
 - जनप्रतनिधित्व अधनियम (Representation of People's Act), 1951** की धारा 8 अभवियक्ती की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के दोषी व्यक्ती को चुनाव लड़ने से रोकती है ।
 - RPA की धारा 123(3A) और 125:** चुनावों के संदर्भ में जाति, धर्म, समुदाय, जाति या भाषा के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने

पर रोक लगाती हैं और इसे भ्रष्ट चुनावी कृत्य के अंतर्गत शामिल करती हैं।

■ आईपीसी में बदलाव के लिये सुझाव:

○ वशिवनाथन समिति, 2019:

- इसने धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन, जन्म स्थान, नविस, भाषा, वकिलांगता या जनजाति के आधार पर अपराध करने के लिये उकसाने हेतु **आईपीसी में धारा 153 सी (बी) और धारा 505 ए** का प्रस्ताव रखा।
- इसने 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ दो वर्ष तक की सज़ा का प्रस्ताव रखा।

○ बेज़बुरुआ समिति, 2014:

- इसने आईपीसी की **धारा 153 सी** (मानव गरमा के लिये हानिकारक कृत्यों को बढ़ावा या बढ़ावा देने का प्रयास) में संशोधन कर पाँच वर्ष की सज़ा और जुर्माना या दोनों तथा **धारा 509 ए** (शब्द, इशारा या कार्य किसी वशिष जातिके सदस्य का अपमान करने का इरादा) में संशोधन कर तीन वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रस्ताव दिया।

■ 'हेट स्पीच' से संबंधित कुछ मामले:

○ सर्वोच्च न्यायालय का हालिया नरिणय:

- बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतंत्र अभवियकर्ता (Free Speech) की सीमाओं और हेट स्पीच पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि "ऐतहिसक सत्यता (Historical Truths) का वर्णन समाज के वभिन्न वर्गों या समुदायों के मध्य बना किसी घृणा या शत्रुता का खुलासा किये या प्रोत्साहन के कयिा जाना चाहयिे।"

○ श्रेया सधिल बनाम भारत संघ:

- संवधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा गारंटीकृत अभवियकर्ता की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम, 2000 की धारा 66A से संबंधित मुद्दे उठाए गए थे, जहाँ न्यायालय ने चर्चा, वकालत और उत्तेजना के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि पहले दो तत्त्व (चर्चा और वकालत) अनुच्छेद 19(1) का हसिसा हैं।

○ अरूप भुइयां बनाम असम राज्य:

- न्यायालय ने कहा कि केवल एक कृत्य के लिये तब तक दंडित नहीं कयिा जा सकता जब तक कि कोई व्यकर्ता हिसा का सहारा नहीं लेता या किसी अन्य व्यकर्ता को हिसा के लिये उकसाता नहीं है।

○ एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम:

- इस मामले में न्यायालय ने कहा कि अभवियकर्ता की स्वतंत्रता को तब तक प्रतबंधित नहीं जा सकता जब तक कि इस तरह की स्थिति समुदाय/जनहति के लिये खतरनाक न हो जाए, जिसमें यह खतरा दूरस्थ या अनुमानित नहीं होना चाहयिे। इस प्रकार प्रयुक्त अभवियकर्ता के साथ एक नकिट और प्रत्यक्ष संबंध होना चाहयिे।

आगे की राह

- 'शक्ति' नफरत को कम करने का सबसे कारगर तरीका है। लोगों में करुणा की भावना को बढ़ावा देने और समझ वकिसति करने में हमारी शक्ति प्रणाली की प्रमुख भूमिका हो सकती है।
- 'हेट स्पीच' के वरिद्ध लड़ाई को एकदम अलग नज़रिये से नहीं देखा जा सकता है। इस पर संयुक्त राष्ट्र जैसे व्यापक मंच पर चर्चा होनी आवश्यक है। प्रत्येक ज़मिमेदार सरकार, कषेत्रीय नकियाँ और अन्य अंतरराष्ट्रीय और कषेत्रीय अभनित्ताओं को इस खतरे का जवाब देना चाहयिे।
- 'हेट स्पीच' के मामलों को वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से संबोधित कयिा जा सकता है क्योंकि यह न्यायालय की लंबी प्रक्रियाओं से वार्ता, मध्यस्थता और/या सुलह के माध्यम से पक्षों के बीच विवाद के नपिटारे के लिये एक बदलाव का प्रस्ताव करता है।
- साथ ही सार्वजनिक अधिकारियों को देखभाल के कर्तव्य की अवहेलना हेतु और सत्कर्ता समूहों को देश के नागरिकों के खलिाफ नफरत फैलाने से रोकने के लिये कार्रवाई नहीं करने हेतु जवाबदेह ठहराया जाना चाहयिे।

स्रोत: द हट्टू